



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर : "नारंग टावर", तिसरी मंजिल, उपआयुक्त यातायात पुलिस (नागपुर शहर)
कार्यालय के सामने, पाम रोड, सिविल लाईन्स नागपुर-440 001 महाराष्ट्र टेलि. 0712-2520091, 2980554
ई-मेल : ronagpur@nhai.org वेबसाइट : www.nhai.gov.in



National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Regional Office - Nagpur : "Narang Towers", 3rd Floor, Opp. to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City), Palm Road, Civil Lines, Nagpur-440 001 Maharashtra. Tel. 0712-2520091, 2980554
e-mail : ronagpur@nhai.org website : www.nhai.gov.in

भा.रा.रा.प्रा./क्षे.का.नागपुर/AMT/UT-527/NH-53/33kV/2025-26/ 2007

Date: 29.09.2025

INVITATION OF PUBLIC COMMENTS

विषय: 4-laning of Talegaon-Amravati section of NH-53 - **Proposal for permission for crossing of 11 kV underground at Ch. 161.500 near village Kondeshwar, Tah. & Dist. Amravati- Reg.**

संदर्भ:

1. The PD, PIU Amravati's Office letter No. 1638, dated 26.09.2025.
2. EE, MSEDCL, O&M Rural Div. Amravati letter no. 3715 dated 12.09.2025

This is to inform all concerned that vide their letter under **Ref.2**, that the M/s MSEDCL has submitted a proposal for the subjected work. Subsequently, the NHAI, PD, PIU-Amravati has recommended the above proposal vide his letter under **Ref. 1** for approval of the Competent Authority / Highway Administrator.

- 1) The alignment / location for laying of the proposed in the subject mentioned section is as follows:
 - Underground crossing at Ch 161.500.
- 2) As per Para-4 of Ministry's Circular No. RW/NH-33044/29/2015/S&R(R), dated 22.11.2016, the Highway Administration shall put out a NOTICE in the public domain for 30 days for seeking claims and objections (on grounds of public inconvenience, safety and general public interest etc.).

In view of the above, the comments / objections of affected public are hereby invited with reference to the Ministry's circular dated 22.11.2016. The objections / comments may be addressed to the below mentioned address **within 30 days** from the issuance of this Public Notice. Any comments received of the expiry of the above period / beyond the due date, will NOT be accepted. Please note.

The Regional Officer,
Regional Office - Nagpur
National Highways Authority of India,
"Narang Towers", 3rd Floor,
Opp.to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City),
Palm Road, Civil Lines, Nagpur-440 001, Maharashtra
Tel : 0712-2520091 Email : ronagpur@nhai.org

मि. 29/9/25
(निर्मल झाडे)

महाप्रबंधक (तकनीकी)

Copy to:

- (i) Web Admin., NHAI, HQ, New Delhi - for uploading in NHAI's website [web-admin@nhai.org]
- (ii) Director, NIC, New Delhi- for uploading in Ministry's website [mansoor@nic.in]



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर : "नारंग टावर", तिसरी मंजिल, उपआयुक्त यातायात पुलिस (नागपुर शहर)
कार्यालय के सामने, पाम रोड, सिविल लाइन्स नागपुर-440 001 महाराष्ट्र टेलि. 0712-2520091, 2980554
ई-मेल : ronagpur@nhai.org वेबसाइट : www.nhai.gov.in



National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Regional Office - Nagpur : "Narang Towers", 3rd Floor, Opp. to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City), Palm Road, Civil Lines, Nagpur- 440 001 Maharashtra. Tel. 0712-2520091, 2980554
e-mail : ronagpur@nhai.org website : www.nhai.gov.in

भा . रा . रा . प्रा . / क्षेत्र . का . नागपुर / एएमटी/यूटी-527/एनएच-53/33केवी/2025-26/

दिनांक: 29.09.2025

सार्वजनिक टिप्पणियों का निमंत्रण

2007

विषय : NH-53 के तालेगांव-अमरावती खंड को 4-लेन का बनाना - Ch पर 11 केवी भूमिगत क्रॉसिंग की अनुमति का प्रस्ताव। 161.500 गांव कोंडेश्वर के पास , तह. एवं जिला. अमरावती - रजि.

संदर्भ :

1. पीडी, पीआईयू अमरावती का कार्यालय पत्र संख्या 1638, दिनांक 26.09.2025।
2. ईई, एमएसईडीसीएल, ओ एंड एम ग्रामीण डिवीजन अमरावती पत्र संख्या 3715 दिनांक 12.09.2025

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि मेसर्स एमएसईडीसीएल ने संदर्भ 2 के अंतर्गत अपने पत्र के माध्यम से उक्त कार्य हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। तत्पश्चात, एनएचएआई, पीडी, पीआईयू-अमरावती ने संदर्भ 1 के अंतर्गत अपने पत्र के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी/राजमार्ग प्रशासक के अनुमोदन हेतु उपरोक्त प्रस्ताव की अनुशंसा की है।

3) विषयगत खंड में प्रस्तावित बिछाने के लिए संरेखण / स्थान निम्नानुसार है:

- Ch 161.500 पर भूमिगत क्रॉसिंग।

4) मंत्रालय के परिपत्र संख्या आरडब्ल्यू/एनएच-33044/29/2015/एमएंडआर(आर), दिनांक 22.11.2016 क पैरा-4 के अनुसार, राजमार्ग प्रशासन दावे और आपत्तियां (सार्वजनिक अमुविधा, सुरक्षा और सामान्य सार्वजनिक हित आदि के आधार पर) मांगने के लिए 30 दिनों के लिए सार्वजनिक डोमेन में एक नोटिस जारी करेगा।

उपरोक्त के मद्देनजर, मंत्रालय के दिनांक 22.11.2016 के परिपत्र के संदर्भ में प्रभावित जनता की टिप्पणियाँ/आपत्तियाँ आमंत्रित हैं। इस सार्वजनिक सूचना के जारी होने के 30 दिनों के भीतर, आपत्तियाँ/टिप्पणियाँ नीचे दिए गए पते पर भेजी जा सकती हैं। उपरोक्त अवधि की समाप्ति/निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त कोई भी टिप्पणी स्वीकार नहीं की जाएगी। कृपया ध्यान दें।

क्षेत्रीय अधिकारी,

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर

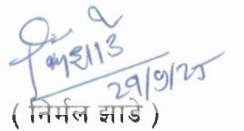
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,

"नारंग टावर्स", तीसरी मंजिल,

पुलिस उप आयुक्त यातायात कार्यालय के सामने (नागपुर शहर),

पाम रोड, सिविल लाइन्स, नागपुर-440 001, महाराष्ट्र

दूरभाष : 0712-2520091 ईमेल : ronagpur@nhai.org


(निर्मल झाडे)

महाप्रबंधक (तकनीकी)

में कॉपी:

- (i) वेब एडमिन, एनएचएआई, मुख्यालय, नई दिल्ली - एनएचएआई की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए [web-admin@nhai.org]
- (ii) निदेशक, एनआईसी, नई दिल्ली - मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए [mansoor@nic.in]